रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 13 मई, 2023 ई० (बैशाख 23, 1945 शक संवत्) [संख्या 19

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	253–294	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	545–572	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	199–210	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	63–78	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	247–252	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति/तैनाती

29 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 4014/96-आयुष-1-2022-323/2017—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 160/33/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता मुनाफे उल अजा के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 दानिश चिश्ती पुत्र श्री तनवीर चिश्ती, नूर मंजिल मोहल्ला किला, मंगलौर टाउन, जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता मुनाफे उल अजा के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4250/96-आयुष-1-2022-323/2017—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 192/09/डी0आर0/एस-11/2012-13, दिनांक 30 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में रीडर तशरीह उल बदन के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 अब्दुल मलिक पुत्र श्री मकबूल हुसैन, एम0क्यू0 इन्टर कालेज से ओरहा के सामने, 225 इस्लाम नगर, बिजनौर को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रीडर तशरीह उल बदन के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4251/96-आयुष-1-2022-231/2015टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 72/04/डी0आर0/एस-11/2018-19टी0सी0-1, दिनांक 22 जुलाई, 2021 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता निस्वॉ व कबालत के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 खान सबा मुहम्मद अतहर पुत्री श्री मुहम्मद अतहर, निवासिनी 8बी/209/3031 टैगोर नगर विखरौली (ई0), मुम्बई महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता निस्वॉ व कबालत के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम 19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4252/96-आयुष-1-2022-231/2015टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 97/12/डी0आर0/एस-11/2014-15टी0सी0-3, दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता तहफ्फुजी व समाजी तिब के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 तहसीन फातिमा पत्नी श्री शमीम उल्लाह खान, निवासिनी 31/323 मदनपुरा बंगाली टोला, वाराणसी को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता तहफ्फुजी व समाजी तिब के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4253/96-आयुष-1-2022-231/2015टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 244/02/डी0आर0/एस-11/2016-17टी0सी0-2, दिनांक 14 फरवरी, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता तशरीह उल बदन के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 मो0 इमरान खान पुत्र मोहम्मद इकबाल खान, निवासी रानी सागर साउथ मोहल्ला गढ़ पार, भोजपुर, बिहार को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में प्रवक्ता तशरीह उल बदन के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4254/96-आयुष-1-2022-231/2015टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 250/12/डी0आर0/एस-11/2014-15टी0सी0-1, दिनांक 17 फरवरी, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता इल्मुल अतफाल के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 मो0 सोहैल पुत्र मोहम्मद अताउल्लाह, निवासी बाघा, बाघा कुसमार, मधुबनी, बिहार को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता इल्मुल अतफाल के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव।

अनुभाग—2
नियुक्ति
08 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 3177/96-आयुष-2-2022-60(रिट)/2021—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 596 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-20/01/डी0आर/एस-11/2017-18, दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या-90/01/डी0आर/एस-11/2017-18, दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या-109/01/डी0आर/एस-11/2017-18, दिनांक 21 जुलाई, 2020, एवं पत्र संख्या-155/01/डी0आर/एस-11/2017-18, दिनांक 31 अगस्त, 2020, पत्र संख्या-215/01/डी0आर/एस-11/2017-18, दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 तथा पत्र संख्या-301/01/डी0आर/एस-11/2017-18, दिनांक 22 मार्च, 2021 के आधार पर चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली 1990 यथासंशोधित के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चयन क्रमांक-322 पर अंकित (रजिस्ट्रेशन क्रमांक—53000208826) डा0 चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रामराज यादव, मं0नं0-8/5/3 कूपर रोड, सिविल लाईन, प्रयागराज को कार्यालय निदेशालय होम्योपैथिक उ0प्र0 लखनऊ में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान करने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

1—चयनित चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली-1990 में व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

2–नियुक्ति चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि देय होगें।

3–वित्त सामान्य अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-सा-03-379/दस-2005-31(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नव परिभाषित अंश दान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–चयनित चिकित्साधिकारी पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली-1990 यथा संशोधित प्राविधान लागू होंगे।

5–चयनित चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के भीतर निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0, 8वॉ तल इन्दिरा भवन लखनऊ कार्यालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

6–चयनित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चयनित चिकित्साधिकारी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(i) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(ii) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

(iv) गोपनीयता एवं सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र।

(v) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(vi) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(vii) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8–चयनित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी योगदान आख्या निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उनके द्वारा अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नही दी जाती है, तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नहीं है, ऐसी दशा में उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9–उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से डा0 चन्द्रा प्रकाश के संबंध में चयन/संस्तुति प्राप्त होने पर डा0 चन्द्र प्रकाश का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। तत्क्रम में अपर निदेशक, मण्डलीय चिकित्सा परिषद, प्रयागराज की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा परिषद द्वारा डा0 चन्द्र प्रकाश को कलर ब्लाइडंनेस (वर्णान्धता) से ग्रसित पाया गया है। मण्डलीय चिकित्सा परिषद, प्रयागराज द्वारा डा0 चन्द्र प्रकाश को कलर ब्लाइडंनेस (वर्णान्धता) से ग्रसित पाये जाने पर पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में राज्य चिकित्सा परिषद से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा भी उन्हें आंशिक रूप से कलर ब्लाइंड पाते हुए गैर तकनीकी कार्य हेतु उपयुक्त पाया गया।

10–चन्द्र प्रकाश के कलर ब्लाइंडनेस (वर्णान्धता) से ग्रसित होने के दृष्टिगत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निदेशक, होम्योपैथी के पत्र संख्या-नि0हो0/16/20/3126 दिनांक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकरण में निम्नवत आख्या उपलब्ध करायी गयी है–

1–होम्योपैथिक चिकित्साधिंकारी का पद तकनीकी पद Technical Post माना जायेगा।

2–होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद के लिए Eye Sight निर्धारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली, 1990 कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु सामान्यतः होम्योपेथिक चिकित्साधिकारी को मरीज की त्वचा/ब्लड/आँख/जीभ आदि का रंग स्पष्ट दिखना आवश्यक है, जिसके आधार पर वह मरीज का उपचार कर सके।

3–Colour Blindness रोग से ग्रस्त होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी मरीज की त्वचा/ब्लड/आँख/जीभ आदि के रंग का विभेद न कर सकने के कारण Clinical Diagnosis ठीक से नहीं कर पायेगा एवं मरीज का उचित उपचार नहीं कर सकेगा।

4–उक्त से स्पष्ट है कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद Colour Blindness पर से युक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति से विधा पर प्रतिकूल प्रभाव होने की सम्भावना है।

11–श्री चन्द्र प्रकाश की होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद नियुक्ति contempt Application Civil No-6298 of 2022 चन्द्र प्रकाश बनाम श्रीमती आराधना शुक्ला व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाक 19 अक्टूबर, 2022 के आलोक में उत्पन्न अपरिहार्य विधिक बाध्यता के दृष्टिगत की जा रही है।

12–उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संस्थित रिट याचिका संख्या–ए17112/2021 चन्द्र प्रकाश बनाम उ0प्र0 राज्य व 03 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाक 30 मार्च, 2022 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली recall application for recalling of the order dated 30 मार्च, 2022 अथवा अन्य वाद में पारित होने वाले निर्णय के अधीन है।

13–डा0 चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रामराज यादव, मं0 नं0-8/5/3 कूपर रोड, सिविल लाईन, प्रयागराज द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 के समक्ष दिया जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किए गये उक्त recall application पर अथवा अन्य वाद में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में यदि आदेश पारित किए जाते है, हो उनकी नियुक्ति को शासन द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा, इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज्ञा से,
सुखलाल भारती,
विशेष सचिव।

अनुभाग–1
नियुक्ति/तैनाती
15 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 4391/96-आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-01/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100255089), श्रीमती बुशरा अबरार पत्नी श्री सईद अहमद, अस्थाई निवासी–फ्लैट नं0-बी 3, सिमरा प्लाजा, अमीर निशा, जनपद अलीगढ़, उ0प्र0-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कहमरिया मतलूबपुर, जनपद शाहजहांपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, शाहजहांपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4392/96-आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-02/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100266456), श्री निजामुल हक पुत्र श्री सिराजुल हक, स्थाई निवासी ग्राम—हरैया, पोस्ट—डिण्डा, तहसील—बांसी, जनपद—सिद्धार्थनगर, उ0प्र0—272151 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा

(आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित भार्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बड़ागॉव, जनपद–अयोध्या में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, अयोध्या के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध 'उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4393/96-आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त-पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-04/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100278947), श्री अब्दुल अजीज पुत्र श्री इम्तियाज अली, स्थाई निवासी ग्राम-पिपरा पडरूपुर, पोस्ट-बॉके गांव, जनपद-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0-272152 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मुसाफिर खाना, 15 शैय्या, जनपद-अमेठी में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4394/96-आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-06/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100284407), श्री दानिश अली, पुत्र स्व0 इजहार अली, निवासी-43, अहले हदीस मस्जिद, हमदर्द नगर बी जमालपुर, जनपद-अलीगढ़, उ0प्र0-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, तातारपुर, जनपद-अमेठी में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सुल्तानपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4395/96-आयुष-1-2022-203/2020टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-05/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100352142), मो0 मोनिस, पुत्र श्री अब्दुल गफूर, निवासी-म0नं0-12, ग्राम-चैनपुर, पोस्ट-नेवलगढ़, जनपद-बलरामपुर, उ0प्र0-271203 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बड़ेसर, जनपद-गाजीपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4396/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-07/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100440359), सुश्री अतिया खान पुत्री श्री अरशद खान, निवासी-म0नं0-53, रियाज मंजिल, फराशटोला, जनपद-आजमगढ़, उ0प्र0-276001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बहरियाबाद, जनपद-गाजीपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी मण्डल वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4397/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या-276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-08/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100126413), श्री नसीबुल्लाह, पुत्र श्री रियातुल्लाह, निवासी-ग्राम—लटिया, पूरब, पोस्ट-वासा दरगाह, जनपद-सिद्धार्थनगर, उ0प्र0-272195 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मच्छटी, जनपद-गाजीपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी मण्डल वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4398/96-आयुश-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-09/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100274738), मोहम्मद शहाबुद्दीन, पुत्र श्री शब्बीर अहमद, निवासी-ग्राम-भीखारीपुर, पोस्ट-शेपौरा, थाना व तहसील-घोसी, जनपद-मऊ, उ0प्र0-275302 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित भार्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, उर्दू बाजार, जनपद-जौनपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी मण्डल वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4399/96-आयुश-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-10/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100147452), सुश्री नसरीन एखलाक, पुत्री श्री एखलाक अहमद, निवासी-रूदौली, पूरे रसूल बक्श, जनपद-अयोध्या, उ0 प्र0-225411 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोश्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित भार्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, तिलौरा, जनपद-जौनपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, वाराणसी मण्डल वाराणसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4400/96-आयुश-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-13/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100446219), श्री शफीक अहमद खान, पुत्र श्री जौहर, निवासी-246, गांव व पोस्ट जमदा शाही, जनपद-बस्ती, उ0प्र0–272002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा

नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, पलियाकला, 15 शैय्या, जनपद-लखीमपुर खीरी में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिशद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4401/96-आयुश-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-14/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100240777), श्री एहतिशाम, पुत्र श्री मो0 नवाब, निवासी-12/216, खाई डोरा, जयगंज रोड, जनपद-अलीगढ़, उ0प्र0-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मुहम्मदपुर ताजपुर, जनपद-लखीमपुर खीरी में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिशद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ मण्डल लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4402/96-आयुश-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-15/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100254919), श्री अबरार आलम, पुत्र श्री गुलाम मोहम्मद, निवासी-483एच, चक्सा हुसैन, पेचपेरवा, नियर रिलायंस टावर, जनपद-गोरखपुर, उ0प्र0-273015 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोश्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित भार्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, हैदराबाद, जनपद-लखीमपुर खीरी में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिशद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4403/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-16/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100092994), सुश्री सबा इमदाद, पुत्री श्री इमदाद अली खान, निवासी-ए 50, दिलशाद कालोनी, धौर्रा माफी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ़, उ0प्र0-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, नारहट, जनपद-ललितपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, ललितपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4404/96-आयुश-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-17/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100482789), मौ0 यासिर, पुत्र श्री साबिर अली, निवासी-330, गली नं0-2, फिरदौस नगर, किला रोड, जनपद-अलीगढ़, उ0प्र0-202002 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, गोयरा मुगली, जनपद-बांदा में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बांदा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4405/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-18/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100279812), श्री अब्दुल राजिक, पुत्र श्री अब्दुल खालिक, निवासी-ग्राम-सहगवॉ नगरिया, पोस्ट-बरात बोझ, जनपद-पीलीभीत, उ0प्र0-262001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोश्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, 15 शैय्या, जनपद-हमीरपुर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हमीरपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4406/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-19/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100359066), मोहम्मद दानिश, पुत्र श्री एहसानुल्लाह, निवासी-म0नं0-2141, मोहल्ला-हनुमान गढ़ी, निकट नई पानी टंकी, जनपद-श्रावस्ती, उ0प्र0-271831 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोशिठका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, बनकेगॉव, जनपद-सिद्धार्थनगर में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4407/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-20/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100417175), सुश्री सुलताना नवाब, पुत्री श्री नवाबुद्दीन, निवासी-सराय बेहराम बेग, दही वाली गली, जनपद-अलीगढ़, उ0प्र0-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, दरगाह, जनपद-बहराइच में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4408/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-21/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100479731), सुश्री शाहीन अखलाक, पुत्री श्री मो0 अखलाक, निवासी-1498-99, सराय खलील, सदर बाजार, दिल्ली-110006 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोश्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, नानपारा, 15 शैय्या, जनपद-बहराइच में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनु ाासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4409/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा

चयन (क्रमांक-22/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100283842), श्री मोहम्मद तौसीफ, पुत्र श्री मोहम्मद यहिया, निवासी-63जे/5ए/1, एनुद्दीनपुर, गौसनगर, करैली, जनपद-प्रयागराज, उ0प्र0-211016 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, गम्भीरवा बाजार, जनपद-बहराइच में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4410/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-23/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100408308), सुश्री जीनत इदरीसी, पुत्री श्री आबिद हुसैन, निवासी-ग्राम व पोस्ट-फुलसन्दा खाकम, जनपद-बिजनौर, उ0प्र0-246733 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, कदौरा, जनपद-जालौन में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जालौन स्थान उरई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9–परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 4411/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-24/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100102185), मोहम्मद शाहिद, पुत्र श्री फय्याज अहमद, निवासी-5/74, नगला मसानी, खैर रोड, जनपद-अलीगढ़, उ0प्र0-202001 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, मुसमरिया, जनपद-जालौन में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, जालौन स्थान उरई के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

02 जनवरी, 2023 ई0

सं0 2711/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-03/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100149159), श्री अब्दुल हफीज, पुत्र श्री अब्दुल वहाब, निवासी-ग्राम-गुल्वा गौरी, पोस्ट-बिन्दवल, जनपद-आजमगढ़, उ0प्र0-276121 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, खरजवा, जनपद-देवरिया में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरूद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

सं0 2712/96-आयुष-1-2022-203/2020,टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्साधिकारी के 25 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त पत्र संख्या 238/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 31 जनवरी, 2022, पत्र संख्या 276/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या 282/32/डी0आर0/एस-11/2017-18, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर चयनित यूनानी चिकित्साधिकारियों में से श्री राज्यपाल द्वारा चयन (क्रमांक-25/रजिस्ट्रेशन नम्बर-53100045084), मोहम्मद इकराम, पुत्र श्री मो0 फारूक, निवासी-177, मोहल्ला-संतोमालन, नजीबाबाद, जनपद-बिजनौर, उ0प्र0-246763 को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी चिकित्सालय, श्रीनगर सागर गॉव, जनपद-श्रावस्ती में रिक्त यूनानी चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 के नियम-17 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—संबंधित चिकित्साधिकारी पर वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी पर उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली 1990 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—संबंधित चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित चिकित्साधिकारी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

7—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपनी तैनाती स्थान क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बहराइच के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन नियमानुसार निरस्त करने पर शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

8—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

9—परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त यूनानी चिकित्साधिकारी द्वारा तैनाती स्थल को परिवर्तित किये जाने का दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध 'उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

13 फरवरी, 2023 ई0

सं0 683/96-आयुष-1-2023-231/2015 टी0सी0—लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 271/01/डी0आर0/एस-11/2019-20, दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवक्ता कुल्लियात के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 सना अख्तर पुत्री श्री शमीम अख्तर, निवासिनी—4/160, हमदर्द नगर बी, 2 पेट्रोल पम्प, अनूप शहर रोड, निकट किरमानी मस्जिद, अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रवक्ता कुल्लियात के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8–सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9–उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 684/96-आयुष-1-2023-231/2015 टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 299/17/डी0आर0/एस-11/2018-19, दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में रीडर निस्वॉ व कबालत के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 खुर्शीद आलम पुत्र श्री अफ्फान अहमद निवासी ग्राम व पोस्ट बन्दी कलॉ, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में रीडर निस्वां व कबालत के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

1–सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

अनुभाग—2

20 फरवरी, 2023 ई0

सं0 685/96-आयुष-2-2023-91/2012टी0सी0 II—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 596 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-417/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनॉक 07 मार्च, 2020, संख्या-20/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनांक 28 मई, 2020, पत्र संख्या-90/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनांक 30 जून, 2020, पत्र संख्या-109/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनांक 21 जुलाई, 2020, पत्र संख्या-155/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनॉक 31 अगस्त, 2020, पत्र संख्या-301/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनॉक 22 मार्च, 2021, पत्र संख्या-216/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनांक 10 जनवरी, 2022 एवं पत्र संख्या-360/01/डी0आर0/एस-11/2017-18 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 के आधार पर चयनित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली-1990 यथासंशोधित के अर्न्तगत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अर्न्तगत डा0 श्याम कुमार सैनी (रजिस्ट्रेशन संख्या-53000199397 (ओ0बी0सी0/औपबधिक), का चंयन मुख्य सूची के क्रमांक-265 पर चयनित अभ्यर्थी प्रतीका रानी (रजिस्ट्रेशन संख्या-53000198069), (अनारक्षित/एस0सी0-महिला) का अभ्यर्थन निरस्त होने के कारण पूर्व में क्रमांक-321 पर चयनित शैलेश कुमार चौरसिया, रजिस्ट्रेशन संख्या-35000037635 (ओ0बी0सी0) को श्रेष्ठातानुसार अनारक्षित रिक्ति के सापेक्ष समायोजित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ओ0बी0सी0 श्रेणी की 01 रिक्ति घटित होगी। मुख्य सूची में शैलेश कुमार चौरसिया का स्थान यथावत् रहेगा।

ओ0बी0सी0 श्रेणी की घटित उक्त 01 रिक्ति के सापेक्ष श्रेष्ठताक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी श्याम कुमार सैनी, रजिस्ट्रेशन संख्या-53000199397 (ओ0बी0सी0/औपबधिक) के चयन की संस्तुति की गयी है। इनका नाम मुख्य सूची के क्रमांक-553 पर चयनित निशा हमीद अंसारी, रजिस्ट्रेशन संख्या-53000012229 (ओ0बी0सी0/महिला) के नीचे तथा क्रमांक-554 पर चयनित मीनाक्षी रजिस्ट्रेशन संख्या-53000110141 (एस0सी0/महिला) के ऊपर अवस्थित होगा। उक्त के क्रम में डा0 श्याम कुमार सैनी, रजिस्ट्रेशन संख्या-53000199397 (ओ0बी0सी0/औपबधिक) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, पता-सेक्टर-19 मकान नं0-417 इन्दिरा नगर लखनऊ को राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, भीखमपुर जनपद-ललितपुर में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर मौलिक रूप अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अर्न्तगत् प्रदान करने की राज्यपाल महोदया एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–नियुक्त चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली-1990 (यथासंशोधित) में व्यवस्थानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि पर चिकित्सक को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि देय होगें।

3–वित्त सामान्य अनुभाग-03 की अधिसूचना संख्या-सा-03-379/दस-2005-31(9)/2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा नव परिभाषित अंश दान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–नियुक्त चिकित्साधिकारी पर उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा नियमावली-1990 यथासंशोधित चतुर्थ संशोधन नियमावली-2016 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–नियुक्त चिकित्साधिकारी पत्र प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

6–नियुक्त चिकित्साधिकारी को नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चयनित चिकित्साधिकारी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(i) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।

(ii) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

(iv) गोपनीयता एवं सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र।

(v) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(vi) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(vii) समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

2–नियुक्त चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्रों सहित अपने तैनाती से सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि नियुक्त चिकित्साधिकारी द्वारा अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं दी जाती है, तो उनका नियुक्ति एवं अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

3–उक्त नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में संस्थित रिट याचिका संख्या-4842/2020 डा0 रितेश सिंह व 48 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-1946(एस0बी0)/2020 मानवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0

राज्य व अन्य एवं विशेष अपील संख्या-1240/2020 डा0 अनुराग त्रिपाठी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अन्य वाद यदिं कोई हो, में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4—नियुक्ति/तैनाती में किसी भी प्रकार का परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।

अनुभाग—1

28 फरवरी, 2023 ई0

सं0 964/96-आयुष-1-2023-198/2007—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 516(1)/12/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 05 मार्च, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता-रोग निदान के पद पर सीधी भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 दीपा शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार विश्वकर्मा निवासिनी 4745/1, अतरी नगर, बांदा रोड, बांदा, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी में प्रवक्ता-रोग निदान के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थिनी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ ऑफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9–उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 965/96-आयुष-1-2023-198/2007–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 229(1)/01/डी0आर0/एस-11/2010-11, दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता-शल्य-तंत्र के 01 पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 शशि प्रभा पत्नी श्री विजय कुमार, निवासी धमोरा, धमोरा, रामपुर, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में प्रवक्ता-शल्य तंत्र के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1–सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2–नियुक्त अभ्यर्थिनी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4–सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6–चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8–सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9–उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4092/96-आयुष-1-2023-198/2007—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 516(2)/12/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवक्ता-रोग निदान के पद पर सीधी भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 रन्जना पाण्डेय पत्नी श्री बाल गोविन्द तिवारी, निवासिनी 2-7-6, तृतीय लेन, बालक राम कालोनी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में प्रवक्ता-रोग निदान के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1—सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2—नियुक्त अभ्यर्थिनी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4—सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6—चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3) उ0 प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8—सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय पीलीभीत के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9—उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—7 हिन्दी गजट—भाग 1—2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 मई, 2023 ई० (बैशाख 23, 1945 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

April 01, 2022

No. 01–From the date of taking over charge, following Joint Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600) :

Sl. no.	Emp. no.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3256	Anil Kumar Srivastava-III
2	3257	Sanjay Pathak
3	3259	Naresh Chandra Dwivedi

No. 02–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. no.	Emp. no.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3373	Vinaya Kumar Srivastava
2	3381	Girish Narain Tewari
3	3387	Wahid Absar

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 03–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4026	Rahul Agarwal
2	4020	Kanhaia Lal
3	4032	Dharmesh Chandra Srivastava
4	2743	Nawab Agha, *Lko.*
5	2744	Sharad Chandra Agnihotri, *Lko.*

No. 04–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2950	Hari Mohan, *Lko.*
2	7044	Ravindra Singh
3	2951	Satendra Kumar, *Lko.*
4	7080	Devendra Singh Rana, *Lko.*
5	7084	Vasiullah Khan

No. 05–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Mrs.)–
1	7482	Vinay Prakash
2	7483	Sanjeev Kumar
3	7484	Pramit Kumar
4	7485	Geeta Pal
5	7488	Niraj Kumar Rai
6	7489	Samar Rizvi

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Sayeed Ahmad (Emp. No. 3462), Joint Registrar, Sri Diwakar Gupta (Emp. No. 3451), Joint Registrar, Sri Krishna Chandra (Emp. No. 3469), Joint Registrar, Sri Kuldeep Kumar Srivastava (Emp. No. 4049), Deputy Registrar, Sri Nikhilesh Chandra Pathak (Emp. No. 4067), Deputy Registrar and Sri Satish Kumar Pushkar (Emp. No. 4063), Deputy Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; Km, Sheelu Srivastava (Emp. No. 7010), Assistant Registrar, Sri Abhishek Kumar (Emp. No. 2944), Assistant Registrar, Sri Saurabh Srivastav (Emp. No. 7351), Section Officer, Sri Mohd. Shoeb (Emp. No. 7352), Section Officer, Sri Ambrish Pandey (Emp. No. 7355), Section Officer and Sri Omendra Pratap Singh Chauhan (Emp. No. 7362), Section Officer, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Vinaya Kumar Srivastava (Emp. No. 3373), Sri Girish Narain Tewari (Emp. No. 3381) and Sri Wahid Absar (Emp. No. 3387), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Dharmesh Chandra Srivastava (Emp. No. 4032), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Sri Hari Mohan (Emp. No. 2950), Sri Satendra Kumar (Emp. No. 2951) and Sri Devendra Singh Rana (Emp. No. 7080), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG
Registrar General.

April 22, 2022

No. 06–Sri Prashant (Emp. No. 11032), Assistant Review Officer is hereby promoted to the post of Review Officer with effect from 27-10-2020 *i.e.* the date of notification of promotion of his immediate Junior Sri Shani Yadav (Emp. No. 10824).

His name is placed just above the name of Sri Shani Yadav (Emp. No. 10824), Review Officer in the Gradation List of Review Officer.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

May 01, 2022

No. 07–From the date of taking over charge, Sri Sanjay Pratap Singh, Lko., (Emp. No. 2664), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to retirement of Sri Mithilesh Kumar from the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV.

No. 08–From the date of taking over charge, Sri Narendra Singh (Emp. No.1555), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to retirement of Sri Masarrat Husain from the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III.

No. 09–From the date of taking over charge, Sri Sandeep Bhattacharya (Emp. No.1535), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Sanjay Pratap Singh.

No. 10–From the date of taking over charge, Sri Ajeet Kumar Patel (Emp. No. 3540), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Narendra Singh.

No. 11–From the date of taking over charge, Smt. Shahnaz Bano, *Lko.* (Emp. No. 6885), Private Secretary Grade-I, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Sandeep Bhattacharya.

No. 12–From the date of taking over charge, Sri Sailesh Kumar Srivastava (Emp. No. 3670), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sti Ajeet Kumar Patel.

No. 13–From the date of taking over charge, Sri Noman Ahmad (Emp. No. 3685), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted as Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Smt. Shahnaz Bano.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By order of the Court,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

May 01, 2022

No. 14–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar, in pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3260	Sri Kshama Nand Pandey

No. 15–From the date of taking over charge, following Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3388	Sri Avanish Kumar Jaiswal

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 16–From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs.78,800 - 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	6077	Sri Vivek Srivastava*

**The promotion of Sri Vivek Srivastava shall be subject to the final decision in Civil Misc. Writ Petition No.* 59420 *of* 2015 *connected with Civil Misc. Writ Petition No.* 47845 *of* 2017.

No. 17–From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7059	Smt. Sikha Srivastava

No. 18–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Ms.)–
1	7490	Sayed Javed Husain
2	7491	Sakshi Grover/ Jyoti Bedi, *Lko.*

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Shiva Sharan Lal Srivastava (Emp. No. 3470), Joint Registrar, and Sri Dharmesh Chandra Srivastava (Emp. No. 4032), Deputy Registrar, posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Sri Avanish Kumar Jaiswal (Emp. No. 3388), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Vivek Srivastava (Emp. No. 6077), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Ms. Sakshi Grover @ Jyoti Bedi, posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

July 25, 2022

No. 20–Consequent upon satisfactory completion of probation period, the following officer is hereby confirmed from the date of completion of probation period, on the posts, as mentioned against their names:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Designation	Date of Confirmation
1	2	3	4	5
1	17792	Sri Ambuj Srivastava	Senior System Officer	12-04-2022

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
ASHISH GARG,
Registrar General.

August 18, 2022

No. 21–From the date of taking over charge, the following officers of High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby appointed as Bench Secretary Grade-I and are directed to join duties of Bench Secretary Grade-I at their respective place of posting *i.e.* Allahabad and Lucknow Bench (mentioned against their names), within seven days from the date of issuance of notification:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Designation	Place of joining as B.S. Grade-I
1	2	3	4	5
		(S/Sri)–		
1	7706	Swapnesh Singh	Review Officer	Allahabad
2	7909	Rambahadur Srivastava	Review Officer	Allahabad
3	7978	Shreyansh Purwar	Review Officer	Lucknow
4	8008	Harshvardhan Arya	Review Officer	Allahabad
5	7937	Km. Nisha Patel	Review Officer	Allahabad
6	7751	Jitendra Kumar	Review Officer	Allahabad
7	7931	Sushmita Saxena	Review Officer	Allahabad
8	7776	Rachit Kumar	Review Officer	Allahabad
9	7502	Manish Dixit	Review Officer	Lucknow
10	7673	Ashutosh Singh Bhadauria	Review Officer (Hindi)	Allahabad
11	7676	Karn Bharadwaj	Review Officer (Hindi)	Allahabad
12	7970	Mohammad Shabbir	Review Officer	Lucknow
13	7560	Atul Kumar	Review Officer	Allahabad
14	7696	Prashant Sharma	Review Officer	Lucknow
15	7830	Ashish Kumar Mehta	Review Officer	Lucknow
16	7840	Udai Veer Singh	Review Officer	Lucknow
17	7960	Upendra Pratap Singh	Review Officer	Allahabad
18	8005	Vibhrati Kumar	Review Officer	Allahabad
19	7745	Ashutosh Kumar Maurya	Review Officer	Allahabad
20	7686	Vaseem Raza	Review Officer	Lucknow
21	7743	Anand Sah	Review Officer	Allahabad
22	7948	Makkhan Lal	Review Officer	Allahabad
23	7964	Rishi Dwivedi	Review Officer	Lucknow
24	7754	Randhir Singh	Review Officer	Allahabad
25	7710	Shalabh Shukla	Review Officer	Lucknow
26	7918	Nitin Kumar Sen	Review Officer	Allahabad
27	7996	Prashant Shukla	Review Officer	Lucknow
28	7912	Jitendra Balkrishna Kanhere	Review Officer	Allahabad
29	7793	Shiv Shankar	Review Officer	Allahabad
30	7903	Saurabh Gupta	Review Officer	Allahabad

1	2	3	4	5
		(S/Sri)–		
31	7619	Nripendra Chaudhari	Review Officer	Allahabad
32	7824	Arun Kumar	Review Officer	Allahabad
33	7985	Rishikesh Gaur	Review Officer	Allahabad
34	7784	Ashish	Review Officer	Lucknow
35	7911	Piyush Tiwari	Review Officer	Allahabad
36	7854	Ramesh Kumar Yadav	Review Officer	Allahabad
37	7886	Hifzur Rahman	Review Officer	Allahabad
38	7980	Vinod Yadav	Review Officer	Allahabad
39	7486	Kedar Nath Gupta	Review Officer	Lucknow
40	7779	Upendra Verma	Review Officer	Lucknow
41	7681	Anurag Srivastava	Review Officer	Allahabad
42	7531	Prashish Khare	Review Officer	Allahabad
43	7942	Santosh Kumar	Review Officer	Allahabad
44	7803	Ratnesh Kumar Maurya	Review Officer	Lucknow
45	7698	Abhimanyu Kumar Gupta	Review Officer	Allahabad
46	7834	Abhishek Kumar Ranjan	Review Officer	Lucknow
47	7869	Pravin Kumar Yadav	Review Officer	Allahabad
48	7879	Dhani Ram Verma	Review Officer	Allahabad
49	7748	Dinesh Kumar	Review Officer	Allahabad
50	7828	Rajiv Bharti	Review Officer	Allahabad
51	7888	Sudheer Kumar Singh Rana	Review Officer	Allahabad
52	7690	Amit Kumar Yadav	Review Officer	Lucknow
53	7926	Brijendra Singh	Review Officer	Allahabad
54	7695	Faraz Parvez	Review Officer	Allahabad
55	7974	Prince Kumar Saini	Review Officer	Lucknow
56	7986	Shashwat Pandey	Review Officer	Lucknow
57	7810	Vikas Kumar Yadav	Review Officer	Lucknow
58	7643	Milind Raj	Review Officer	Lucknow
59	7716	Ujjwal Kumar Das	Review Officer	Allahabad
60	7852	Anand Kumar Yadava	Review Officer	Allahabad
61	2206	Sunil Kumar	Review Officer	Lucknow

(All newly selected Bench Secretary Grade-I who join duties of Bench Secretary Grade-I at Lucknow Bench of the Hon'ble Court, will draw salary from High Court, Allahabad).

By order of
Hon’ble the Chief Justice,
ASHISH GARG
Registrar General.

September 09*,* 2022

No. 26–From the date of taking over charge, Sri Sanjay Kumar Dwivedi, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 2712), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to retirement of Sri Satya Prakash Ttipathi.

No. 27–From the date of taking over charge, Sri Santosh Kumar Gaur, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 6054), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to retirement of Sri Umesh Babu.

No. 28–From the date of taking over charge, Sri Devendra Kumar Sinha, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 2925), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Sanjay Kumar Dwivedi, *Lko.*

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Sanjay Kumar Dwivedi, (Emp. No. 2712), High Ccurt of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, shall draw salary from High Court, Allahabad as J.R.-cum-B.S. Grade-IV. Sri Anil Kumar Singh (Emp.No. 4806) D.R.-Cum-B.S. Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow who has been permitted to draw salary from High Court, Allahabad, shall draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow).

No. 29–From the date of taking over charge, Sri Ashish (Emp. No. 1454), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court Allahabad, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission, in the existing vacancy.

No. 30–From the date of taking over charge, Sri Surendra Kumar Srivastava, *Lko.*, (Emp. No. 2665, Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission, in the existing vacancy.

No. 31–From the date of taking over charge, Sri Manoj Vikram Singh Chauhan, *Lko.* (Emp. No. 1557), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the existing vacancy.

No. 32–From the date of taking over charge, Sri Abhishek Agrahari (Emp. No. 1551), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800- 2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion in the vacancy to be occurred due to promotion to Sri Ashish.

No. 33–From the dare of taking over charge, Sri Shiva Kant Tiwari (Emp. No. 1562), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800- 2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Surendra Kumar Srivastava.

No. 34–From the date of taking over charge, Sri Naresh Kumar (Emp. No. 3569), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the existing vacancy.

No. 35–From the date of taking over charge, Sri Mahesh Kumar, *Lko.* (Emp. No. 3570), Private Secretary Grade-I, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Manoj Vikram Singh Chauhan.

No. 36–From the date of taking over charge, Sri Ranjeet Sahu (Emp. No. 3565), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Abhishek Agrahari.

No. 37–From the date of taking over charge, Sri Santosh Kumar, *Lko.* (Emp. No. 3573), Private Secretary Grade-I, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Shiva Kant Tiwari.

No. 38–From the date of taking over charge, Ms. Arti Maurya, *Lko.* (Emp. No. 3703), Additional Private Secretary, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Naresh Kumar.

No. 39–From the date of taking over charge, Sri Shobhit Rawat, (Emp. No. 3671), Additional Private Secretary, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Private Secretary Grade-I, in the pay scale of Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Mahesh Kumar, *Lko.*

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By order of
the Hon'ble Court,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

September 30*,* 2022

No. 40–From the date of taking over charge, following Joint Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100–2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Smt)–
1	3261	Krishna Singh
2	3262	Kusum Yadav

No. 41–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri)–
1	3456	Binay Kumar Misra
2	3459	Kamlesh Kumar Misra

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 42–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Smt)–
1	7138	Rajendra Prakash Yadav*
2	4078	Ravindra Pratap Singh
3	4088	Meena Singh
4	4085	Yan Chandra
5	4079	Sanjay Kumar
6	4081	Soumitra Mazumdar

** The promotion of Sri Rajendra Prakash Yadav shall be subject to the final decision in Civil Misc. Writ Petition No. 59420 of 2015 connected with Civil Misc. Writ Petition No. 47845 of 2017.*

No. 43–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Smt)–
1	4082	Gobardhan
2	7060	Vivek Kumar Singh
3	7046	Anjana Shukla

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(Sri/Smt)–
4	7047	Harish Chandra Diwakar
5	3310	Ramesh Chand-III
6	2732	Bijai Bahadur, *Lko.*
7	4087	Surendra Singh
8	4809	Santosh Kumar, *Lko.*
9	6083	Sanjay Sharma
10	7027	Subhash Chandra Kushwaha

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Rajendra Kumar Chaurasia (Emp. No. 3471), Joint Registrar, Sri Kamlesh Kumar Yadav (Emp. No. 3354), Joint Registrar and Sri Vivek Srivastava (Emp. No. 6077) Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, Smt. Kusum Yadav (Emp. No. 3262), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Binay Kumar Misra (Emp. No. 3456) and Sri Kamlesh Kumar Misra (Emp. No. 3459), both posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Sanjay Kumar (Emp. No. 4079) and Sri Soumitra Mazumdar (Emp. No. 4081), both posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar, Sri Bijai Bahadur (Emp. No. 2732) and Sri Santosh Kumar (Emp. No. 4809), both posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, upon promotion as Assistant Registrar).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

September 30*,* 2022

No. 44-Sri Babboo Kumar Shukla (Emp. No. 11084), Assistant Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted to the post of Review Officer, with effect from 27-10-2020 *i.e.* the date of notification of promotion of his immediate Junior Ms. Rekha (Emp. No. 11007).

His name is placed just above the name of Ms. Rekha (Emp. No. 11007), Review Officer in the Gradation List of Review Officer.

Above promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court.

No. 45–From the date of taking over charge, following Assistant Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Review Officer, in pay scale Level-8 (Rs. 47,600 - 1,51,100):

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7090	Sri Shailesh Srivastava

Above promotion shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

October 01, 2022

No. 46–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3363	Gopal Krishna Pandey
2	3364	Sant Lal Sharma

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 47–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4083	Kailash Nath Gupta
2	2745	Manoj Kumar Singh, *Lko.*

No. 48–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4604	Ram Narayan Singh Yadav
2	7062	Abhishekh Srivastava-II
3	7072	Gaya Pal

(All promotions, notified above, shall he subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Smt. Arti (Emp. No. 3357), Joint Registrar, Km. Nekahat Ayasha (Emp. No. 3362), Joint Registrar, Sri Sanjay Kumar (Emp. No. 4079), Deputy Registrar and Sri Soumitra Mazumdar (Emp. No. 4081), Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; Sri Prabhat Kumar Shukla (Emp. No. 2946), Assistant Registrar, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Gopal Krishna Pandey (Emp. No. 3363) and Sri Sant Lal Sharma (Emp. No. 3364), both posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Kailash Nath Gupta (Emp. No. 4083), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar).

No. 49–From the date of taking over charge, Sri Piyush Srivastava, Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, (Emp. No. 3294), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,31,100-2,16,600, level-13-A in the vacancy caused due to retirement of Sri Rajesh Kumar Goel.

No. 50–From the date of taking over charge, Sri Satya Prakash Singh, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 3283), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to promotion of Sri Piyush Srivastava.

No. 51–From the date of taking over charge, Sri Vijay Kumar Srivastava, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 2659), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Satya Prakash Singh.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Vijay Kumar Srivastava (Emp. No. 2659), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow shall draw salary from High Court, Allahabad as D.R.-cum-B.S. Grade-III).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

October 22, 2022

No. 52-The following Bench Secretaries Grade-I of High Court of Judicature at Allahabad are hereby repatriated to their parent post of Review Officer (Hindi) and their names are placed in the Gradation list of Review Officer (Hindi) cadre at the previous original position, mentioned against their names:

Sl. No.	Emp. No.	Name	Placement of name in Review Officer (Hindi) cadre
1	2	3	4
		(S/Sri)–	
1	7676	Karn Bharadwaaj	Above the name of Sri Ashutosh Singh Bhadauria (Emp. No. 7673)
2	7673	Ashutosh Singh Bhadauria	Above the name of Sri Sunil Kumar Kushwaha (Emp. No. 7667)

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

No. 53–From the date of taking over charge, following Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2952	Sushil Kumar, *Lko.*
2	7492	Abhishek Nagar
3	7494	Sharad Mani Tripathi
4	7495	Abdul Bari Khan, *Lko.*
5	7496	Om Prakash Mishra, *Lko.*
6	7497	Mrs. Munmun Narang
7	7498	Pramod Kumar Pandey
8	7499	Navneet Kumar Singh, *Lko.*
9	7500	Ravendra Puri
10	7503	Ms. Richa Srivastava, *Lko.*
11	7504	Ms. Shweta Srivastava, *Lko.*
12	7506	Syed Zafar Haider Rizvi
13	7508	Ms. Parul Saxena, *Lko.*
14	7510	Prakarsh Malviya
15	7511	Mrs. Ankita Singh, *Lko.*
16	7512	Devesh Kumar Sharma, *Lko.*

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Sunil Kumar (Emp. No. 7363) and Mrs. Tripti Shikhar Srivastava (Emp. No. 7364), both Section Officer, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Sushil Kumar (Emp. No. 2952), Sri Abdul Bari Khan (Emp. No. 7495), Sri Om Prakash Mishra (Emp. No. 7496), Sri Navneet Kumar Singh (Emp. No. 7499), Ms. Richa Srivastava (Emp. No. 7503), Ms. Shweta Srivastava (Emp. No. 7504), Ms. Parul Saxena (Emp. No. 7508), Mrs. Ankita Singh (Emp. No. 7511) and Sri Devesh Kumar Sharma (Emp. No. 7512), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

November 01, 2022

No. 54–From the date of taking over charge, Sri Moinul Hasan, *Lko.* (Emp. No. 2517), Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Registrar-cum-Principal Private Secretary, in the pay scale of Level-13-A (1,31,100 - 2,16,600) as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred on account of superannuation of Sri Syed Salman Mansur.

No. 55–From the date of taking over charge, Sri Ali Nawaz Khan, *Lko.*, (Emp. No. 2523), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Moinul Hasan.

No. 56–From the date of taking over charge, Sri Ram Murti Kushwaha (Emp. No. 1552), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Ali Nawaz Khan.

No. 57–From the date of taking over charge, Sri Kanhaiya Kumar, *Lko.* (Emp. No. 3571), Private Secretary Grade-I, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II in the pay scale of Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Ram Murti Kushwaha.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By order of the Hon'ble Court,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

December 01, 2022

No. 58–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3265	Sri Rajesh Kumar Gupta

No. 59–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3366	Kailash Nath Kesarwani
2	3371	Surya Bali
3	3392	Sant Lal

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 60–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	4089	Rajendra Prasad
2	4501	Mohd. Aslam (Khan)
3	4096	Abhinesh Chaddha
4	4093	Keshav Kumar

No. 61–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7078	Bhoop Narayan
2	7070	Lal Ji
3	7088	Arun Kumar Tiwari
4	7096	Pawan Kumar Shukla
5	7099	Sanjay Tiwari

No. 62–From the date of taking over charge, following Review Officers and Review Officers (Hindi), High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7514	Ghanshyam Shukla
2	7676	Karn Bharadwaj
3	7673	Ashutosh Singh Bhadauria
4	7667	Sunil Kumar Kushwaha
5	7670	Km. Ekta Agrawal

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Km. Nekahat Ayasha (Emp. No. 3362), Joint Registrar, Sri Vinaya Kumar Srivastava (Emp. No. 3373), Joint Registrar and Sri Kailash Nath Gupta (Emp. No. 4083) Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad. Further, Sri Rajesh Kumar Gupta (Emp. No. 3265), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from

Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Kailash Nath Kesarwani (Emp. No. 3366), Sri Surya Bali (Emp. No. 3371) and Sri Sant Lal (Emp. No. 3392), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Abhinesh Chaddha (Emp. No. 4096) and Sri Keshav Kumar (Emp. No. 4093), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

December 01, 2022

No. 63–From the date of taking over charge, Mahboob Safi (Emp. No. 1571), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to retirement of Sri Ravi Kant Surolia.

No. 64–From the date of taking over charge, Sri Rakesh Prajapat, *Lko.* (Emp. No. 3574), Private Secretary Grade-I, High Court Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Mahboob Safi.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By order of the Hon'ble Court,
(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Registrar General.

December 20, 2022

No. 65–From the date of taking over charge, following Review Officer (Hindi), High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7669	Sri Rajesh Tiwari, *Lko.*

(The promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(in view of prevailing transfer policy, Sri Rajesh Tiwari (Emp. No. 7669), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

January 01, 2023

No. 67–From the date of taking over charge, Sri Sheikh Mohd. Athar, Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, (Emp. No. 3137), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar-cum-Principal Bench Secretary, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,31,100-2,16,600, level-13-A in the vacancy caused due to retirement of Sri Murlidhar Shukla.

No. 68–From the date of taking over charge, Sri Vinayak Prasad Pandey, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 3278), High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.1,23,100-2,15,900, level-13 in the vacancy caused due to promotion of Sri Sheikh Mohd. Athar.

No. 69–From the date of taking over charge, Sri Virendra Kumar Thakkar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 4073), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to retirement of Sri Shailendra Srivastava.

No. 70–From the date of taking over charge, Sri Vijay Kumar Kushwaha, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 7045), High Court of Judicature at Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court of Judicature at Allahabad, in the pay scale of Rs.78,800-2,09,200, level-12 in the vacancy caused due to promotion of Sri Vinayak Prasad Pandey.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

January 01, 2023

No. 71–From the date of taking over charge, Sri Surjit Kumar Dey, (Emp. No.1457), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to superannuation of Sri Anil Kumar Srivastava-III.

No. 72–From the date of taking over charge, Sri Gulab, *Lko.* (Emp. No. 2522), Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade-IV, in the pay scale of Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900) as per 7th Pay Commission, in the vacancy occurred due to superannuation of Sri Surendra Kumar Srivastava.

No. 73–From the date of taking over charge, Smt. Asha (Emp. No.1536) Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, is hereby promoted' to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Surjit Kumar Dey.

No. 74–From the date of taking over charge, Sri Amit Kumar, *Lko.* (Emp. No.1568), Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, High Court, Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted to the post of Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III, in the pay scale of Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Gulab.

No. 75–From the date of taking over charge, Sri Pankaj Kumar Srivastava (Emp. No.1585), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Smt. Asha.

No. 76–From the date of taking over charge, Km. Priti Sharma (Emp. No. 6953), Private Secretary Grade-I, High Court, Allahabad, is hereby promoted to the post of Assistant Registrar-cum-Private Secretary Grade-II, in the pay scale of Level-11 (Rs.67,700-2,08,700) as per 7th Pay Commission, in the vacancy to be occurred due to promotion of Sri Amit Kumar.

[The above promotions shall be subject to repatriation of Officers from *ex-cadre* posts to their original posts and result of Writ Petition(s), filed, if any].

By order of the Hon'ble Court,
(Sd.) ILLEGIBLE,
Registrar General.

January 01, 2023

No. 77–From the date of taking over charge, following Joint Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3270	Kuldeep Narayan
2	3272	Mrinal Mishra
3	3273	Rajeev Kumar Sinha-I

No. 78–From the date of taking over charge, following Deputy Registrars, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3393	Manoj Kumar Malviya
2	3224	Akhilesh Kumar
3	2714	Shailendra Kumar, *Lko.*

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 79–From the date of taking over charge, following Assistant Registrars, High Court of Judicature at Allahabad, are hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1		Post Reserve
2	4094	Ashok Kumar Srivastava
3	6001	Mohd. Arshad

No. 80–From the date of taking over charge, following Section Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	7097	Vijayanand Dwivedi
2	7137	Vivekanand Singh
3	7113	Suresh Kumar Prasad
4	2969	Sanjaiv Kumar Yadav, *Lko.*
5	7127	Smt. Meetu Verma

No. 81–From the date of taking over charge, following Review Officers (Hindi) and Review Officers, High Court of Judicature at Allahabad and its Lucknow Bench, Lucknow, are hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri/Ms.)–
1	7671	Ajeet Singh
2	7678	Rajendra Kumar Kanaujiaya
3	7668	Rajni Kant Verma
4	7516	Amita Bajpai, *Lko.*
5	7518	Alok Kumar Singh

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Smt. Kusum Yadav (Emp. No. 3262), Registrar, Sri Rajesh Kumar Gupta (Emp. No. 3265), Registrar, Sri Girish Narain Tewari (Emp. No. 3381), Joint Registrar, Sri Wahid Absar (Emp. No. 3387), Joint Registrar, Sri Avanish Kumar Jaiswal (Emp. No. 3388), Joint Registrar, Sri Abhinesh Chaddha (Emp. No. 4096), Deputy Registrar and Sri Keshav Kumar (Emp. No. 4093), Deputy Registrar, all posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad; Mrs. Priyanka Bajpai (Emp. No. 7365), Section Officer, posted at Lucknow Bench of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Kuldeep Narayan (Emp. No. 3270), Sri Mrinal Mishra (Emp. No. 3272) and Sri Rajeev Kumar Sinha-I (Emp. No. 3273), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Manoj Kumar Malviya (Emp. No. 3393) and Sri Akhilesh Kumar (Emp. No. 3224), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Ashok Kumar Srivastava (Emp. No. 4094) and Sri Mohd. Arshad (Emp. No. 6001), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Sri Sanjaiv Kumar Yadav (Emp. No. 2969), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar; Ms. Amita Bajpai (Emp. No. 7516), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

January 02, 2023

No. 82–From the date of taking over charge, following Joint Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Registrar, in the pay scale Level-13A (Rs. 1,31,100 - 2,16,600) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3275	Sri Suresh Chandra Mishra

No. 83–From the date of taking over charge, following Deputy Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Joint Registrar, in pay scale Level-13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	3455	Sri Ram Sewak-I

(Under Rule 20(d) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976, the promoted Joint Registrars shall undergo four and half months training, particularly with regard to application of Law in the working of the High Court, conducted by J.T.R.I., Lucknow and 90% attendance shall be compulsory during training programme. The Director, J.T.R.I. shall certify whether such Joint Registrars have successfully completed the training. The term "successful training" shall mean 90% attendance in training programme conducted by J.T.R.I.).

No. 84–From the date of taking over charge, following Assistant Registrar, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Deputy Registrar, in pay scale Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	4095	Sri Ashok Kumar-V

No. 85–From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Assistant Registrar, in pay scale Level-11 (Rs. 67,700 - 2,08,700) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	2968	Sri Sujit Chandra, *Lko.*

No. 86–From the date of taking over charge, following Review Officer, High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow, is hereby promoted as Section Officer, in pay scale Level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
1	7519	Sri Shailendra Nigam, *Lko.*

(All promotions, notified above, shall be subject to result of Writ Petition(s), if any, filed before the Hon'ble Court).

(In view of prevailing transfer policy, Sri Kuldeep Narayan (Emp. No. 3270), Registrar and Sri Binay Kumar Mishra (Emp. No. 3456), Joint Registrar, both posted at High Court of Judicature at Allahabad and drawing salary from Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad, Sri Shikhar Srivastava (Emp. No. 7368), Section Officer, posted at Lucknow Bench

of this Court and drawing salary from High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court. Further, Sri Suresh Chandra Mishra (Emp. No. 3275), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Registrar; Sri Ram Sewak-I (Emp. No. 3455), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Joint Registrar; Sri Ashok Kumar-V (Emp. No. 4095), posted at High Court of Judicature at Allahabad, will draw salary from Lucknow Bench of this Court upon promotion as Deputy Registrar; Sri Sujit Chandra (Emp. No. 2968), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Assistant Registrar; Sri Shailendra Nigam (Emp. No. 7519), posted at Lucknow Bench of this Court, will draw salary from High Court of Judicature at Allahabad upon promotion as Section Officer).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

January 23, 2023

No. 88–Under the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 19-01-2023, following Private Secretaries of High Court, Allahabad & its Lucknow Bench are hereby confirmed on their posts on due date(s) :

Joint Registrar-cum-Private Secretary Grade- IV

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	2517	Moinul Hasan, *Lko.* (promoted as Registrar-cum-PPS *w.e.f.* 01-11-2022)
2	1046	Ghan Shyam
3	1464	Sanjeev Kumar Sachdeva
4	1462	Atul Kumar Srivastava
5	1459	Ram Asrey Morya

Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade- III

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	1055	Vinod Kumar Upadhya
2	1509	Om Krishna Choudhary
3	1511	Naseem Uddin
4	1512	Rajesh Kumar Singh
5	1518	Ramayan Prasad Shukla
6	1521	Sunil Kumar Verma
7	1522	Rajeev Kumar Sachdeva
8	3156	Kailash Chandra Singh
9	1529	Afzal Husain Abbasi
10	1524	Baratam Vidya Sagar
11	1525	Sunil Kumar Singh
12	2923	Suresh Chandra, *Lko.*
13	2922	Chobrolu Srinivasa Rao, *Lko.*

1	2	3
14	1533	Smt. Itu Banerjee
15	1527	Adeebuddin
16	1528	Tribhuwan Singh
17	1531	Mahendra Nath
18	2930	Ashutosh Kumar Shukla, *Lko.*
19	2928	Hemant Ranjan

Assistant Registrar Cum Private Secretary Grade-II

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S/Sri)–
1	3506	Shyam Lal
2	3501	Nand Lal Yadav
3	6883	Naresh Pal, *Lko.*
4	3502	Rakesh Kumar Maurya, *Lko.*
5	3504	Mukesh Kumar
6	3519	Vishwa Mohan Arora
7	1592	Sanjay Puri
8	3526	Jaideep Banerjee
9	2926	Rakesh Mehta
10	3508	Vinay Kumar
11	3509	Vinod Kumar Goswami
12	3510	Vivek Kumar Srivastava, *Lko.*
13	3511	Pravin Verma
14	1596	Puneet Srivastava
15	1586	Nitin Kumar
16	3513	Kushal Agrawal
17	3514	Pradeep Singh, *Lko.*
18	3515	Kavleshwar Prasad Yadav
19	3516	Susheel Kumar
20	3517	Puspendra Narayan Singh
21	3518	Ram Bir Singh, *Lko.*
22	3524	Pramod Tripathi
23	3525	Mohd. Imroz Khan
24	3522	Smt. Monika Kesarwani
25	3567	Sunil Kumar Tiwari
26	3520	Bhaskar
27	7108	Anurag Verma, *Lko.*

Private Secretary Grade- I

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	2	3
		(S./Sri)-
1	3635	Praveen Kumar
2	3642	Atul Kumar Srivastava
3	3656	Ashok Kumar Tripathi
4	3643	Jitendra Kumar Patel
5	3633	Mohd. Arif
6	3632	Arshad Mahmood
7	3644	Salman Ali
8	6955	Ram Kesh Prajapati
9	3652	Bhanu Pratap Kushwaha
10	3646	Mayank Kumar Sharma
11	3640	Anurag Singh
12	3638	Ishan Jaiswal
13	3647	Rajesh Kumar Maurya
14	3648	Mini Kanaujiya
15	6918	Munna Lal, *Lko.*
16	3548	Mohd. Mustaqeem Khan, *Lko.*
17	3649	Amit Kumar, *Lko.*
18	3664	Ashutosh Singh
19	3666	Sartaj Ahmad
20	3681	Shubham Kumar Agrahari
21	3682	Sumit Srivastava
22	3698	Ashish Mishra, *Lko.*
23	3695	Prakhar Srivastav
24	3686	Satyam Agrahari
25	3658	Ishan Batabyal
26	3555	Ashish Nayan Tripathi
27	3701	Rahul Tripathi, *Lko.*
28	3674	Shalini Jaiswal
29	3714	Madhurima Garg
30	3683	Ravi Prakash

1	2	3
31	3699	Siddhant Sahu
32	3672	Akhilesh Tripathi
33	3657	Shubham Chaurasia
34	3713	Deepak Kumar Srivastawa
35	3678	Ajay Vikram Singh
36	3677	Arnima Singh, *Lko.*
37	3675	Mohammad Arif
38	9606	Mohammad Akbar
39	3668	Km. Savita Singh
40	3543	Prabhat Kumar, *Lko.*
41	3708	Ruchi Agrahari
42	3709	Brijesh Kumar
43	3711	Deepak Kumar Pandey
44	3697	Prateek Arora, *Lko.*
45	3688	Ujjawal Prajapati
46	3712	Nadim Alam
47	3689	Anupam Kumar Pandey
48	3676	Neeraj Kumar Singh
49	3661	Abhishek Mandhani
50	3690	Nitin Kumar Verma
51	3684	Rishabh Kumar

The following retired Private Secretaries are also hereby confirmed on their respective posts on due date (s) :

Sl. No.	Name	Post
1	2	3
	(S./Sri)–	
1	Syed Salman Mansur (retired on 31-10-2022)	Registrar-cum-PPS
2	Anil Kumar Srivastava-III (retired on 31-12-2022)	J.R.-cum-P.S. Gr-IV
3	Rajnish Kumar, *Lko*. (retired on 31-08-2022)	J.R.-cum-P.S. Gr-IV
4	Mithilesh Kumar (retired on 30-04-2022)	J.R.-cum-P.S. Gr-IV
5	Masarrat Husain (retired on 30-04-2022)	D.R.-cum-P.S. Gr-III

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
ASHISH GARG,
Registrar General.

सिंचाई विभाग

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम-2013 की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

28 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 1368/आठ-वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद/2023—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-13, गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु ग्राम चोकनी, तहसील व जनपद सम्भल में कुल रकबा 0.8270 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा—11 की उपधारा—(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1182/आठ—वि0भू0अ0अ0/मुरादाबाद दिनांक 02 फरवरी, 2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 23 फरवरी, 2023 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सम्भल को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा—15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा—19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद सम्भल, तहसील सम्भल, परगना सम्भल, ग्राम चोकनी की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि अधिनियम, 2013 की धारा—19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर सम्भल को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची—क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
सम्भल	सम्भल	सम्भल	चोकनी	210	0.120
				211	0.377
				212	0.330
				योग . .	**0.827**

अनुसूची—ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

——————————विस्थापित परिवारों की संख्या ''शून्य''——————————

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद सम्भल के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT,
UTTAR PRADESH
FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of section 19 of the act]

NOTIFICATION

April 28, 2023

No. 1368/VIII-S.L.A.O.–Whereas Preliminary notification no. 1182/VIII-S.L.A.O./Moradabad dated 02-02-2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of a total of 0.8270 hectares of land is required in the Village-Chokani, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal, is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div.-13, Garhmukteshwar, District-Hapur (name of requiring body) and lastly published on dated 23-02-2023. The Deputy Collector/Assistant Collector, Sambhal was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.8270 hectares in Village-Chokani, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to divert the Collector of Sambhal to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(Land under proposed acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Chokani	210	0.120
				211	0.377
				212	0.330
				Total	0.827

SCHEDULE-B
(Land identified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for rehabilition
1	2	3	4	5	6
					Hectares
———————— No. of displaced families is ''Zero''————————					

NOTE-A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Sambhal for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE
Collector, Sambhal.

पी0एस0यू0पी0–7 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 मई, 2023 ई० (बैशाख 23, 1945 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर

13 फरवरी, 2023 ई0

सं0 3715/एल0बी0सी0–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (1994) की धारा 239 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के अधीन बनने वाले सभी प्रकार के भवनों एवं निर्माण कार्यों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर द्वारा शासकीय गजट के प्रकाशनार्थ निम्नवत् उपविधि बनायी गयी हैं–

उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2(10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 2(डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधियां बनायी गयी है–

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा सं0, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि के गजट में प्रकाशित की जा चुकी है।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राईंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाईस पर बने उस नक्शे से है जो कि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाईन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊँचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टॉप से लेकर उस भवन के सबसे ऊँचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Verticle) ऊँचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊँचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊँचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतः सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे– रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाईप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला-फिरा जाता है।

11–फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) का तात्पर्य उस भाग से हैं, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भूतल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे– पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली, जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्थित, भूनिर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

(अ) अभियन्ता–जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर।

(ब) अवर अभियन्ता–इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निर्देशित (Designate) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत मुजफ्फरनगर से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रायोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, इसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी का प्रयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊँचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउण्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संगठित जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से है।

24–बहुमंजिली भवन (Multi Storey) चार मंजिला अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का भवन बहुमंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव उपयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लेटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टेन्ट, शमियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः स्थायी रूप से किसी समारोह के लिए लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27–आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रायोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल हैं।

28–व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएस स्टोर्स एवं सुविधायें जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29–संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पादक का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (Processing) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कोरोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वलन, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कोरोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके फलस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-छोटे कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (Processing) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30–भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31–पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकठ्ठे रूप में खड़े हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नही है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि शब्दों का National Building Code एवं Bureau of Indian Standard यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार, कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेगी।

(क) नक्शा स्वीकृत न करने की परिस्थितियां

1–ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नही होगा।

2–उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता होगी–

अ–ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतयाः निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नही होगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब–सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

स–प्लास्तर व फर्श मरम्मत के लिए।

द–पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए।

य–प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण।

र–मिट्टी खोदने या मिट्टी के गड्ढे भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1–स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगाः–

ले-आउट प्लान का पैमाना	:	1:500 होगा
की-प्लान का पैमाना	:	1:1000 होगा
बिल्डिंग प्लान का पैमाना	:	1:100 होगा

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गो का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2–प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार रहेगा।

अ–प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित।

ब–नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद व पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

स–नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

य–भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना-पत्र।

र–भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

ल–स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेन्ट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लान्ट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

व–नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

स–नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउण्ड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3–बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिला अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) निर्माण कार्य व निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टयां आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी यदि

अ–प्रस्तावित भवन–उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब–प्रस्तावित निर्माण धार्मिक की प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती है।

स–प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनायें भड़काने का स्त्रोत (Source of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instruction)

1–(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तथा अनुमन्य होगी।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौडा होगा।

(घ) बेसमेन्ट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नही किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तथा 6.0 मीटर पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर की होगी।

(ज) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगी किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिए भू-खण्ड का 10 प्रतिशत क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जायेगा।

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उपकेन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्गमीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–(क) पार्क, टोट-लोटस (Tot-Lots), लैण्ड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी। जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नही होगा।

6–बेसमेन्ट में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नही किया जा सकेगा।

(ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर व झांसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत् होंगे–

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		(मी0)	(मी0)
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii)(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500–2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2.	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4.	व्यावसायिक भवन	. .	2.50	. .	. .
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्किट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एंव शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कालेज आदि।	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकेन्डरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिंस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिग होम आदि	75	2.50	24	15
6.	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केन्द्र क्लब, बारातघर जिमखाना, अग्निशमन केन्द्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लोज, अतिथि गृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन– सरकारी, अर्द्धसरकारी, कार्पोरेटर एंव अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एंव मनोरजंन काम्पलेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एंव सांस्कृतिक केन्द्र	20	0.40	15	10

1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		(मी0)	(मी0)
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

(ज) सेट-बैक (Set-back)

क्र0 सं0	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Front)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Landscape)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर	मीटर	प्रतिशत
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151–300	3.0	0.0	3.0	तदेव	25
3	301–500	4.5	3.0	3.0	तदेव	25
4	501–2000	6.0	3.0	3.0	तदेव	25
5	2001–6000	7.5	4.5	6.0	तदेव	25
6	6001–12000	9.0	6.0	6.0	तदेव	25
7	12001–20000	12.0	7.5	7.5	तदेव	50
8	20001–40000	15.0	9.0	9.0	तदेव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदेव	50

(झ) पार्किंग-स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	2	3
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक (ECU) प्रति 80 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक (ECU) प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक (ECU) प्रति 30 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक (ECU) प्रति 50 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, होस्टल	एक (ECU) प्रति 2 अतिथि रूम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक (ECU) प्रति 65 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक (ECU) प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक (ECU) प्रति 150 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्वति, अग्नि सुरक्षा एंव सर्विसिज

1–तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एंव शैक्षणिक भवन व्यवसायिक भवन, हॉस्पिटल नर्सिग होम, सिनेमा, मल्टीपलेक्स, 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउंड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालान हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2–अग्नि निकास जीने न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से0मी0, राईजर अधिकतम 19 से0मी0, एक फ्लाई में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3–अग्नि निकास जीने तक पहुंच दूरी 15 मीटर से अधिक नही होनी चाहिए।

4–घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचें भवनों में नही किया जायेगा।

5–उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6–उपरोक्त भवन में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एंव समय-समय पर संशोधित होने वाले राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) के प्रावधान इस उपविधि में स्वतः लागू होंगें। जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होल रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैंन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राईज़र डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाधर दूरी	क्षैतिज दूरी
1	2	3	4
		मीटर	मीटर
1	लो एंड मीडियमवोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33,000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33,000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाईल टावर्स की स्थापना

1–मोबाईल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

2–जनरेटर केवल ''साइलैंट'' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

3–यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

4–जहां अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5–सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि टावर का निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

6–इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) (Vibration) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

7–अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए सूची (I) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10 प्रतिशत प्रति वर्ष जमा करने होंगे।

8–शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाईल टावर की स्थापना नही की जायेगी।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

(क) आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन–

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50.00 प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 प्रतिवर्ग मीटर होगी।

(ख) व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन–

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100.00 प्रति वर्गमीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी।

(ग) (i) भूमि की प्लाटिंग भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बांटना।

(ii) भूमि विकास–भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हॉल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग–भूमिका विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट-प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त (ग) (i) से (iv) तक, सूची (i) के अनुसार जनपदों में 20 प्रतिवर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

(घ) पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

(ङ) स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

(च) बेसमेंट, स्टिल्ट, पीडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्दादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

(छ) यदि स्वीकृति नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10 प्रतिशत होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(ज) उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने की, किसी भूमि पर व्यवसाय करने की, स्वीकृत नक्शे के इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन या ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20 प्रतिशत से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी।

(झ) सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णतयाः प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20.00 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10.00 प्रतिवर्ग मीटर होगी। ये सभी दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होगी।

(ण) सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउण्ड्री वॉल स्वीकृति की दरें 10 प्रति वर्ग मीटर व्यय व अन्य जनपदों में रु0 5.00 प्रति वर्ग मीटर होगी।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शें एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2–ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3–कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वंय की जायेगी।

4–कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियन्ता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5–अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियन्ता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6–अवर अभियन्ता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियन्ता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7–अवर अभियन्ता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8–अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियन्ता से एक अन्तरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तमि शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग–पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9–जिला पंचायत के अभियन्ता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility) सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदनकर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10–अभियन्ता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियन्ता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11–अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12–आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरान्त अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13–उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14–यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग-पत्र जारी नही किया जाता है तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नही करता है तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद–उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित

किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति की के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1–भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी।

2–भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

3–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव व सेवा तल (Service Floor) भण्डारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए तो इनका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में शामिल नही होगा।

4–निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियंत्रित हो या रक्षाविभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो, के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5–उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचाचत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियों (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6–उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिये निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7–मल्टी लेव पार्किंग में संरचानात्मक एवं सुरक्षा की शर्तो के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8–इन उपविधियों के अधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9–इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्ते

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता जिला पंचायत की संस्तुति पर वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दें।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शें ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अन्तर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

लोकेश एम0,
आयुक्त,
सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।

पी0एस0यू0पी0–7 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 मई, 2023 ई० (बैशाख 23, 1945 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन आफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां।

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 / चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/हरदोई/2022/सी0ई0एम0एस0–III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 161–सण्डीला विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0 68/61–2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 161–सण्डीला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0–2022/पत्रा0–01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मुन्नालाल शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 161–सण्डीला से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मुन्नालाल शुक्ला को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0–III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये मुन्नालाल शुक्ला को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई श्री संतोष कुमार शुक्ला द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुन्नालाल शुक्ला ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मुन्नालाल शुक्ला, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 161–सण्डीला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मुन्नालाल शुक्ला, निवासी–म0नं0 478, भरावन उत्तरी, थाना-अतरौली, तहसील-सण्डीला, जिला-हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd *March,* 2023 / 02nd *Chaitra,* 1945 *(Saka).*

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 161-Sandila Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 161-Sandila Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Munnalal Shukla a contesting candidate of Uttar Pradesh from 161-Sandila Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Munnalal Shukla for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Munnalal Shukla was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by Shri Santosh Kumar Shukla brother of the candidate on 06th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022 dated 28th February, 2023 has reported that Munnalal Shukla has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Munnalal Shukla has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualfied for a period of three years from the date of the order";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Munnalal Shukla Resident of H. N. 478, Bharawan Uttari, Thana-Atrauli, Tehsil-Sandila, Dist.-Hardoi a contesting candidate from 161-Sandila, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 25 मार्च, 2023 ई0 / चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/हरदोई/2022/सी0ई0एम0एस0–III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 161–सण्डीला विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0 68/61–2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये जारी की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 161–सण्डीला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0–2022/पत्रा0–01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मो0 हनीफ, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 161–सण्डीला से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मो0 हनीफ को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0–III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये मो0 हनीफ को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की माता श्रीमती शहजादी द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मो0 हनीफ ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मो0 हनीफ, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 161–सण्डीला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मो0 हनीफ, निवासी– 535/202स, फतेहपुर थाना, अलीगंज लखनऊ को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd *March,* 2023 / 02nd *Chaitra,* 1945 *(Saka)*.

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 161-Sandila Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 161-Sandila Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Mo. Haneef a contesting candidate of Uttar Pradesh from 161-Sandila Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Mo. Haneef for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Mo. Haneef was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by Smt. Shahjadi Mother of the candidate on 20th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022 dated 28th February, 2023 has reported that Mo. Haneef has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Mo. Haneef has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualfied for a period of three years from the date of the order";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Mo. Haneef resident of H.N. 535/202 Sa Fatehpur, Thana Aliganj, Lucknow a contesting candidate from 161-Sandila, Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 / चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/हरदोई/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 160—बालामऊ (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की अधिसूचना नं0 68/61—2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 160—बालामऊ (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0—2022/पत्रा0—01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार मनोज कुमार वर्मा, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 160—बालामऊ (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मनोज कुमार वर्मा को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0–III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये मनोज कुमार वर्मा को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 06 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मनोज कुमार वर्मा ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मनोज कुमार वर्मा, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 160–बालामऊ (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मनोज कुमार वर्मा, निवासी–ग्राम–रशूलपुर मजरा खरीका, पोस्ट–हिया, थाना–कासिमपुर, हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd *March,* 2023 / 02nd *Chaitra,* 1945 *(Saka).*

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 160-Balamau (S.C.) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 160-Balamau (S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Manoj Kumar Verma a contesting candidate of Uttar Pradesh from 160-Balamau (S.C.) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Manoj Kumar Verma for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Manoj Kumar Verma was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 06th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 28th February, 2023 has reported that Manoj Kumar Verma has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Manoj Kumar Verma has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualfied for a period of three years from the date of the order";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Manoj Kumar Verma Resident of Village-Rashoolpur Majra Kharika, Post-Hiya, Thana-Kasimpur, Hardoi a contesting candidate from 160-Balamau (S.C.), Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 / चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/हरदोई/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 159-बिलग्राम-मल्लांवा विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की अधिसूचना नं0 68/61—2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये जारी की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 159-बिलग्राम-मल्लांवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0—2022/पत्रा0—01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दीपिका सुमन जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 159-बिलग्राम-मल्लांवा से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए दीपिका सुमन को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0–III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिये दीपिका सुमन को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 08 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दीपिका सुमन ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि दीपिका सुमन, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 159-बिलग्राम-मल्लांवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी दीपिका सुमन, निवासी–ग्राम–तेजीपुर, पोस्ट–मल्लावां, जिला–हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd *March,* 2023 / 02nd *Chaitra,* 1945 *(Saka).*

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 159-Bilgram Mallanwan Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 159-Bilgram Mallanwan Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Deepika Suman a contesting candidate of Uttar Pradesh from 159-Bilgram Mallanwan Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Deepika Suman for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Deepika Suman was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 08th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89 / नि0व्यय0लेखा / वि0स0सा0नि0 / 2022 dated 28th February, 2023 has reported that Deepika Suman has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Deepika Suman has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualfied for a period of three years from the date of the order";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Deepika Suman, Resident of Village-Tejipur, Post-Mallanwan, District- Hardoi a contesting candidate from 159-Bilgram Mallanwan Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2023 ई0 / चैत्र 02, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/हरदोई/2022/सी0ई0एम0एस0–III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 158-साण्डी (अ0जा0) विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 की अधिसूचना नं0 68/61–2022, दिनांक 27 जनवरी, 2022 के जरिये जारी की गई थी।

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः, 158-साण्डी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0–2022/पत्रा0–01/2021 के जरिये अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कमल वर्मा पुत्र निरंजन लाल जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 158-साण्डी (अ0जा0) से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत

निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए कमल वर्मा पुत्र निरंजन लाल को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0–III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के जरिये कमल वर्मा पुत्र निरंजन लाल को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा अपने दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये आयोग को सूचना दी गयी कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी श्रीमती पूनम देवी द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2023 के पत्र संख्या 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 के जरिये प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कमल वर्मा पुत्र निरंजन लाल ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि कमल वर्मा पुत्र निरंजन लाल, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :–

यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति :–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 158-साण्डी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी कमल वर्मा पुत्र निरंजन लाल, निवासी–ग्राम–वैसपुर, पोस्ट–ब्रम्हनाखेड़ा, ब्लाक–साण्डी, तहसील व जिला–हरदोई को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 23rd *March,* 2023 / 02nd *Chaitra,* 1945 *(Saka)*.

ORDER

No. 76/UP-LA/Hardoi/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 158-Sandi (S.C.) Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was held *vide* Notification No. 68/61-2022 dated 27th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and

WHEREAS, the result of the said election along with 158-Sandi (S.C.) Assembly Constituency was declared by the concerned Returing Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Office, Hardoi, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2021, Kamal Verma S/o Niranjan Lal a contesting candidate of Uttar Pradesh from 158-Sandi (S. C.) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Hardoi, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Kamal Verma S/o Niranjan Lal for not lodging the account of Election Expenses; and

WHEREAS, as per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-cause Notice, dated 13th December, 2022, Kamal Verma S/o Niranjan Lal was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the said notice was received by Smt. Poonam Devi wife of the candidate on 18th January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Hardoi, *vide* its letter no. 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hardoi, in his Supplementary Report, *vide* its letter No. 89/नि0व्यय0लेखा/वि0स0सा0नि0/2022 dated 28th February, 2023 has reported that Kamal Verma S/o Niranjan Lal has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and

WHEREAS, the Commission is satisfied that Kamal Verma S/o Niranjan Lal has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualfied for a period of three years from the date of the order";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Kamal Verma S/o Niranjan Lal, Resident of Gram-Vaispur, Post-Brahmnakheda, Tehsil & District- Hardoi a contesting candidate from 158-Sandi (S.C.) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly, 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

पी0एस0यू0पी0–7 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–652 निर्वाचन–12.05.2023–125 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 मई, 2023 ई० (बैशाख 23, 1945 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सीमा यादव (SEEMA YADAV) है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में सही अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र हिमांशु (HIMANSHU) के हाई स्कूल अनुक्रमांक-23255892 के सह अंक प्रमाण-पत्र में सीमा देवी (SEEMA DEVI) अंकित हो गया है।

ये दोनों नाम मेरे ही है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सीमा यादव (SEEMA YADAV) के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

सीमा यादव,
ग्राम व पोस्ट–लखुआपाकड़,
जिला-गोरखपुर,
पिन कोड–273404

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृष्ण कुमार पुत्र भगवानदीन है जो मेरे जन्म प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र में अंकित है मेरे आधार कार्ड संख्या 983385537600 में मेरा नाम काजू अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे कृष्ण कुमार पुत्र भगवानदीन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

कृष्ण कुमार,
पता–68/2B1, गणेश नगर,
म्योराबाद, प्रयागराज।

सूचना

''सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पारिवारिक पेंशन पी0पी0ओ0 सी0/ए0ओ0सी0/एफ0पी0/05146/1997 में गलती से मेरा नाम सरिता देवी अग्निहोत्री अंकित हो गया है, मेरे अन्य अभिलेखों में नाम सरिता अग्निहोत्री है। उक्त दोनों नाम मेरे ही है मुझे भविष्य में सरिता अग्निहोत्री नाम से ही जाना पहचाना जाये''।

सरिता अग्निहोत्री,
504, अलोपीबाग,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स विजय कुमार सिंह एसोसिएट आर0पी0एस0 मार्केट, कस्बा दातागंज, बदायूं, उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं0 बी–14998 है, उपरोक्त फर्म से एक साझेदार विनीत कुमार सिंह, दिनांक 09.10.2018 को स्वेच्छा से

रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये है, उनके स्थान पर एक नये साझेदार के रूप में श्री रविन्द्र विक्रम सिंह दिनांक 09.10.2018 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो गये हैं तथा उसके बाद दिनांक 01.04.2020 को उक्त फर्म से दो साझेदार राशिद हुसैन व रविन्द्र विक्रम सिंह दिनांक 01.04.2020 को स्वेच्छा से रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये है, तथा उनके स्थान पर एक नये साझेदार के रूप में अवनीन्द्र विक्रम सिंह दिनांक 01.04.2020 को स्वेच्छा से सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 28.11.2022 को एक बार फिर परिवर्तन किया गया है जिसमें साझेदार श्री विजय कुमार सिंह दिनांक 28.11.2022 को स्वेच्छा से रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये है, तथा उनके स्थान पर एक नये साझेदार के रूप में श्री विनय कुमार सिंह दिनांक 28.11.2022 से स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः श्री अवनीन्द्र विक्रम सिंह व विनय कुमार सिंह साझेदार है।

अवनीन्द्र विक्रम सिंह,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स देव मेडिकोज पता जे0 206/ए-1, सेक्टर 41, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश की परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है पार्टनरशिप डीड दिनांक 18.11.2010 के अनुसार फर्म में दो पार्टनर थे, 1–श्रीमती स्वरूप रानी पत्नी स्व0 किशोरी सिंह, 2–श्री भोजेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 किशोरी सिंह थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 15.06.2016 के अनुसार फर्म में दिनांक 14.06.2016 में साझीदार नं0-1 श्रीमती स्वरूप रानी पत्नी स्व0 किशोरी सिंह, जी का निधन हो गया है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 15.06.2016 को नये साझीदार श्री देव करन सिंह पुत्र श्री भोजेन्द्र पाल सिंह जी स्वेच्छा से इस फर्म में नये साझेदार आये है साझेदारों की आपसी सहमती से फर्म में अब क्रमशः दो साझेदारों हो गये है। 1–श्री भोजेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 किशोरी सिंह, 2–श्री देव करन सिंह पुत्र श्री भोजेन्द्र पाल सिंह हो गये है।

भोजेन्द्र पाल सिंह,
साझेदार।

सूचना

फर्म मेसर्स वजीर चन्द हैण्डीक्राफ्ट्स, प्रेम नगर, कांठ रोड, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) नामक फर्म में दिनांक 01.04.2023 को श्री केशव प्रिय ढल पुत्र श्री अर्शु ढल, निवासी शुभम विला, लेन-सी, परम्परा फेज-दो, मुरादाबाद उक्त फर्म में शामिल हो गये हैं। उक्त फर्म में अब वर्तमान में छः पार्टनर 1-श्री कृष्णलाल ढ़ल पुत्र स्व0 श्री वजीर चन्द, 2-श्री अर्शु ढल पुत्र श्री कृष्णलाल ढल, 3-श्रीमती अर्चना ढल पत्नी श्री अर्शु ढल, निवासीगण शुभम विला, लेन-सी, परम्परा फेज-दो, मुरादाबाद, 4-श्रीमती कैलाश कुमार पत्नी स्व0 शौंकी लाल ढल, 5-श्री मनीष ढल पुत्र स्व0 शौंकी लाल ढल, निवासीगण शान्ति नगर, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद, 6-श्री केशव प्रिय ढल पुत्र श्री अर्शु ढल, निवासीगण शुभम मिला, लेन-सी, परम्परा फेज-दो, मुरादाबाद है''।

मनीष ढल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री महावीर ग्रेनाइट हेड ऑफिस छजमनपूरा, महोबा की फर्म में चार पार्टनर थे। जिसमें तीन पार्टनर 31.03.2023 से निम्न पार्टनर अलग हो गये हैं, जिनके नाम 1–अशोक कुमार जैन, 2–राजेश कुमार पाण्डेय, 3–हर नारायण गुप्ता स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। इनके स्थान पर नये पार्टनर 1–श्रीमती सरिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, 2–तनिश जैन पुत्र श्री अनिल कुमार जैन, महोबा आ गये है।

अब ये तीन पार्टनर रहेंगे 1–अनिल जैन, 2–श्रीमती सरिता जैन, 3–तनिश जैन यही लोग समस्त फर्म का कारोबार देखेंगे।

अनिल कुमार जैन,
पुत्र श्री प्रेमचन्द्र जैन,
निवासी–माथुरनपुरा।
उ0प्र0–210427

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्याम राइस एण्ड जनरल मिल्स, दातागंज, जिला बदायूं, उ0प्र0, पिनकोड–243635 (पंजीकरण संख्या : B-13137) फर्म में कुल 5 साझेदार-श्री कुलदीप गुप्ता, श्री नवदीप गुप्ता, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री शुभदीप गुप्ता एवं श्री संदीप गुप्ता थे, साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को तीन साझेदार श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री शुभदीप गुप्ता एवं श्री संदीप गुप्ता ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब–किताब चुकता हो गया है। साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर

कोई लेन–देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 2 साझेदार श्री कुलदीप गुप्ता एवं श्री नवदीप गुप्ता है। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं हैं। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

नवदीप गुप्ता,
साझेदार,
श्याम राइस एण्ड जनरल मिल्स,
दातागंज, जिला बदायूं,
उ0प्र0, पिनकोड–243635

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बसंत कुंज, शाहपुर रोड नियर भारत गैस एजेन्सी गोडाउन गोपाल बाग कोसी कला मथुरा, उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री नीरज गोयल पुत्र श्री त्रिलोक चन्द गोयल, श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्याम लाल, श्री अनुराग बंसल पुत्र श्री ओम प्रकाश बंसल, सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को संचालन की थी आज दिनांक 04 अप्रैल, 2023 को श्री संजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्याम लाल अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म को श्री नीरज गोयल, श्री हिमांशु अग्रवाल, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री अनुराग बंसल संचालित करेंगे।

नीरज गोयल,
साझेदार,
बसंत कुंज, शाहपुर रोड,
नियर भारत गैस एजेन्सी,
गोडाउन गोपाल बाग कोसी कला,
मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जय हनुमान डीजल सेन्टर पता–शीशगढ़ तह0 मीरगंज बरेली, उत्तर प्रदेश 243504 जिसकी पंजीकरण सं0-BAR/0000023 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 01.04.2018 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म में एक साझेदार घनश्याम दास अग्रवाल पुत्र भागवत सरन अग्रवाल, निवासी 110, खैरूल्ला स्ट्रीट बड़ा बाजार बरेली दिनांक 01.04.2023 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त/रिटायर हो गये है तथा उनके स्थान पर एक नया साझेदार पुलकित अग्रवाल पुत्र अजय कुमार अग्रवाल, निवासी मकान नं0 705 सहुकारा, बरेली, उत्तर प्रदेश दिनांक 01.04.2023 से स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहा है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः श्री उमंग अग्रवाल व पुलकित अग्रवाल साझेदार है।

उमंग अग्रवाल,
साझेदार,
मेसर्स जय हनुमान डीजल सेन्टर,
पता–शीशगढ़ तह0 मीरगंज बरेली,
उत्तर प्रदेश–243504

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन पता सेंथल तहसील नवाबगंज, जिला बरेली, उ0प्र0–262406 पंजी सं0 BAR/0013827 है, यह फर्म दिनांक 01.04.2000 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही हें उपरोक्त फर्म में दो साझेदार थे दोनों साझेदार श्रीमती वन्दना गुप्ता पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता व श्रीमती उपासना गुप्ता पत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता, निवासिनीगण प्रभात नगर, बरेली, दिनांक 21.01.2023 को फर्म से स्वेच्छा से रिटायर/सेवानिवृत्त हो गये व फर्म का विघटन हो गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के विघटन के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गई।

वन्दना गुप्ता,
साझेदार,
श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन,
पता सेंथल तहसील नवाबगंज,
जिला बरेली, उ0प्र0–262406

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नेचर केयर फार्म्स, 47 ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में डॉ0 रघुबर दयाल सिंघल पुत्र श्री मुरारी लाल सिंघल, निवासी–जवाहर मार्ग कैलारस मुरैना, श्री अभिषेक गोयल पुत्र श्री दीपक गोयल, निवासी–47 ओल्ड विजय नगर कॉलोनी, आगरा, श्री राजीव बंसल पुत्र श्री राधा चरन बंसल, निवासी–मित्तल एग्रीको ए0बी0 रोड कोठारी का बाग, धौलपुर, श्री गौरव बंसल पुत्र श्री छोटेलाल बंसल, निवासी–टाटापाडा नाके के अन्दर बरी धौलपुर और श्री कमलेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम प्रकाश गुप्ता, निवासी–203, विजय नगर कॉलोनी, आगरा साझेदार है। जिसमें से श्री कमलेश कुमार गुप्ता दिनांक 12.03.2018 को उक्त फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो गये है और

श्री अर्पित मित्तल पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार मित्तल, निवासी–53, नेहरू नगर, आगरा उक्त फर्म में दिनांक 12.03.2018 से सम्मिलित हो गये है। वर्तमान में डॉ0 रघुवर दयाल सिंघल, श्री अभिषेक गोयल, श्री राजीव बंसल, श्री गौरव बंसल और श्री अर्पित मित्तल साझेदार है।

श्री रघुबर दयाल सिंघल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम इस्के लाल गुप्ता (Iske Lal Gupta) है। मेरे कुछ शैक्षिक दस्तावेज में मेरे पिता का नाम आई0एल0 गुप्ता (I. L. Gupta) त्रुटिपूर्ण लिखा गया है, I. L. Gupta और Iske Lal Gupta दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। सुदीक्षा गुप्ता पुत्री इस्के लाल गुप्ता, पता 187, पुराना कटरा, कचेहरी रोड, प्रयागराज।

SUDIKSHA GUPTA

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कान्हा जी रोलर फ्लोर मिल्स, पता विलेज दौलतपुर महोलिया, बंडा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं0 SHA/0012093 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 25.05.2022 से निरन्तर सुचारू रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म से एक साझेदार श्री मोहन कुमार मित्तल पुत्र स्व0 राम निवास मित्तल, निवासी राम नगर कॉलोनी, बंडा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश 242042 दिनांक 15 सितम्बर, 2022 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये है, सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है उपरोक्त फर्म में एक नये साझेदार के रूप में श्री अर्जुन मित्तल पुत्र श्री मोहन कुमार मित्तल, निवासी 270, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, बीसलपुर रोड़, बरेली दिनांक 15 सितम्बर, 2022 से स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहा है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में कुल दो साझेदार क्रमशः श्री गोविन्द मित्तल पुत्र श्री मोहन कुमार मित्तल व श्री अर्जुन मित्तल पुत्र श्री मोहन कुमार मित्तल साझेदार है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई जिसके हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया जा रहा है।

गोविन्द मित्तल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म त्रिवेणी एंटरप्राइजेज 14 खंडेरावगेट बाहर, झांसी, उ0प्र0 में स्थित है और उक्त फर्म का पंजीकरण संख्या जे– 5359 है। उक्त फर्म से पार्टनर पीयूष रावत पुत्र अनिल रावत अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे है और अब इस फर्म में देवेश पांडे पुत्र स्वर्गीय कैलाश नारायण पांडे और धवल जेम्स पुत्र मोसेस जेम्स साझेदार है।

पीयूष रावत।

सूचना

फर्म मेसर्स –पूजा एग्रो इण्डस्ट्री, नदिहा रोड, शान्ती नगर, उत्तरीपुरा, कानपुर नगर के पंजीयन पार्टनरशिप डीड दिनांकित 01.06.2020 में श्री मेवालाल राठौर, श्रीमती शारदा राठोर, श्रीमती पूजा राठौर पार्टनर थे। दिनांक 12.03.2021 में श्री अमर सिंह राठौर एवं श्री रोनित राठौर सम्मिलित हो गये है। दिनांक 12.03.2021 से फर्म में श्री मेवालाल राठौर पुत्र स्व0 कालीचरन राठौर, नि0 नदिहा रोड, शान्ती नगर, उत्तरीपुरा, कानपुर नगर, श्रीमती शारदा राठौर पत्नी श्री मेवालाल राठौर, नि0 नदिहा रोड, शान्ती नगर, उत्तरीपुरा, कानपुर नगर एवं श्रीमती पूजा राठौर पत्नी श्री अमर सिंह राठौर, नि0 नदिहा रोड, शान्ती नगर, उत्तरीपुरा, कानपुर नगर एवं श्री अमर सिंह राठौर पुत्र श्री मेवा लाल राठौर, नि0 नदिहा रोड, शान्ती नगर, उत्तरीपुरा, कानपुर नगर एवं श्री रोनित राठौर पुत्र श्री लाल राठौर, नि0 नदिहा रोड, शान्ती नगर, उत्तरीपुरा, कानपुर नगर पार्टनर है।

मेवा लाल राठौर,
पार्टनर।

सूचना

फर्म मेसर्स –रनवीर सिंह ब्रदर्स आवास विकास, जी0टी0 रोड, छिबरामऊ, कन्नौज में दिनांक 27.03.2023 को श्री विकास दीप राजपूत पुत्र श्री रनवीर सिंह, नि0 2/324 आवास विकास कालोनी, छिबरामउ, कन्नौज सम्मिलित हो गये है तथा दिनांक 27.03.2023 को श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री रनवीर सिंह, नि0 गढ़िया, मेरापुर, कन्नौज एवं श्री अनुराग गुप्ता पुत्र श्री दिनेश चन्द्र, नि0 नगरिया तालपार, सौरिख, कन्नौज एवं श्री अनुराग चतुर्वेदी पुत्र श्री हरिश चन्द्र चतुर्वेदी, नि0 इन्द्रा नगर, सौरिख, कन्नौज स्वेच्छा से हट गये है।

रनवीर सिंह,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स साईकृपा फिलिंग स्टेशन, विलेज रसोई, ललितपुर रोड, बबीना, जिला झॉसी, उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–हरी दत्त शर्मा, 2–शिव दत्त पटेरिया।

जिसमें दिनांक 18.11.2019 को हरी दत्त शर्मा का निधन हो गया एवं अभिषेक अग्रवाल, अनुदीप अग्रवाल शामिल हो गये है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

शिव दत्त पटेरिया,
साझेदार मेसर्स साईकृपा
फिलिंग स्टेशन विलेज रसोई,
ललितपुर रोड, बबीना,
जिला झॉसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स बंसल फैबबैल इण्डस्ट्रीज, 808, ग्वालियर रोड, झांसी जिला, झांसी, उ0प्र0 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–प्रकाश बंसल, 2–दीपक बंसल।

जिसमें दिनांक 15.01.2023 को सोनल गुप्ता शामिल हो गयी हैं एवं दिनांक 28.01.2023 को प्रकाश बंसल का निधन हो गया है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

साझेदार,
दीपक बंसल,
मेसर्स बंसल फैबबैल इण्डस्ट्रीज,
808, ग्वालियर रोड, झांसी
जिला, झांसी, उ0प्र0।

सूचना

फर्म मेसर्स–के0 एस0 पालिया टूर और ट्रेवेल्स मिल रोड, पलिया कलां लखीमपुर खीरी पंजीकरण संख्या एल0के0एच0 0005442 में अमरजीत सिंह खैरा को द्वितीय व सुखजीत सिंह को तृतीय साझेदार के रूप में 13.04.2023 को सम्मिलित कर लिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। दीदार सिंह पुत्र स्व0 पाल सिंह, निवासी खैरा फार्म भीरा कस्बा, जिला लखीमपुर खीरी, उ0प्र0।

सी0आर0 -158/डी -36

दीदार सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नवेन्दू दत्ता पुत्र स्व0 श्रीपाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4309 6427 7965 में रविन्द्र कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे नवेन्दू दत्ता पुत्र स्व0 श्रीपाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नवेन्दू दत्ता।

सूचना

मेरा हाई स्कूल वर्ष 2020 अनुक्रमांक 23235691 के अंक-पत्र में मेरे पिता का नाम महेश चतुर्वेदी है जबकि सही नाम महेश कुमार चतुर्वेदी है। आदर्श चतुर्वेदी पुत्र महेश कुमार चतुर्वेदी 374/5, ग्यासुद्दीनपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, प्रयागराज, उ0प्र0।

आदर्श चतुर्वेदी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स Ashish Agarwal, having its registered place of business at Infront of Roadways Bus Stand, Civil Lines Shahar, Banda (U.P.) वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–आशीष अग्रवाल, 2–शरद कुमार अग्रवाल।

जिसमें दिनांक 13.01.2023 को शरद कुमार अग्रवाल अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये एवं उनके स्थान पर पार्थ अग्रवाल शामिल हो गये हैं एवं फर्म का पता परिवर्तित कर 601, The Courtyard, Kanpur Road, Shivaji Nagar, Near Bharat Petrol Pump beside Ganga Hospital, Jhansi, 284001 (U. P.) हो गया।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Ashish Agrawal,
साझेदार मेसर्स Ashish Agrawal,
Infront of Roadways Bus Stand, Civil Lines Shahar, Banda- (U. P.) एवं नया पता 601, The Courtyard, Kanpur Road, Shivaji Nagar, Near Bharat Petrol Pump beside Ganga Hospital, Jhansi, 284001 (U. P.)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स Jay Minrals, House No. 220, Mohalla-Budholiyana, Rath, Hamirpur, Uttar Pradesh-210431 (U.P.) वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है–

1–Manish Kumar Agrawal, 2–Barish Alee, 3- Rajkumar Pathak.

जिसमें दिनांक 01.04.2023 से Mrs. Anjali, Sanjay Joshi शामिल हो गये है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

Manish Kumar Agrawal,
साझेदार मेसर्स Jay Minrals,
House No. 220, Mohalla-Budholiyana,
Rath, Hamirpur, Uttar Pradesh-210431

NOTICE

In my education records (C.B.S.E.) High School Roll no. 5024572, Year, 2019 & Intermediate Roll No. 23705995 Year, 2021) My mother's name wrongly written as Poonam Singh but her correct name is Punam Devi as per Aadhar Card Krisn Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh R/o Village-Shahpur, Teh. & Distt. Ballia, U.P.

Krisn Kumar Singh.

पी0एस0यू0पी0—7 हिन्दी गजट—भाग 8—2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।